न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/7334/2006/बीकानेर

श्रीमती विमला पुत्री ताजुराम, जाति जाट, निवासी ग्राम पीपेरा, तहसील लूनकरनसर, जिला बीकानेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार ।

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राजकीय अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः –03–07–2019

हस्तगत अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बरकानेर द्वारा अपील संख्या 39/2004 शीर्षक श्रीमती विमला बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22–07–2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी/अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर, जिला बीकानेर के न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया कि मौजा राही पीपेरा तहसील लूणकरणसर स्थित खसरा नम्बर साबिक 43 रकबा 27–15 बीघा वादिया के पिता ताजूराम पुत्र लालूराम की सम्वत् 2015 से गैर खातेदारी में आवंटन की गई और तब से लगातार कब्जे काश्त में है। साबिक खसरा नम्बर 43 के बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 114 बनाये गये और उप निवेशन क्षेत्र में आने से चक, मुरब्बा, किला नम्बर में परिवर्तित हुई है। अब यह भूमि चक 230 आर.डी. के मु0नम्बर 126/18 के किला नम्बर 6,7 रकबा 2 बीघा, 14 ता 17 रकबा 4 बीघा, 23 ता 25 रकबा 3 बीघा, मु0 नम्बर 126/19 किला नम्बर 2 ता 9 रकबा 8 बीघा, 13, 14, 18 रकबा 3 बीघा, मु0नम्बर 126/26 किला नम्बर 8 ता 12 रकबा 5 बीघा तथा किला नम्बर 19 ता 21 रकबा 3 बीघा कुल 28 बीघा बनी है। उप निवेशन कृषि भूमि आवंटन नियम, 1975 के तहत उक्त भूमि में से 17 बीघा भूमि वादिया के पिता ताजूराम पुत्र लालूराम को आवंटित की गई तथा बाकी भूमि मु0 नम्बर 126/19 किला नम्बर 2 ता 9 रकबा 8 बीघा, किला

13, 14, 18 रकबा 3 बीघा कुल 11 बीघा रकबा सरप्लस घोषित किया जा कर आराजी राज दर्ज किया गया। वादिया अपने पिता की अधिकारी होने से 11 बीघा भूमि को आवंटन कराने की अधिकारी है। वादिया द्वारा वादपत्र में अनुतोष चाहा कि घोषणात्मक डिक्री जारी की जाये कि वादिनी अपने पिता की सरप्लस भूमि चक 230 आर.डी. के मु0 नम्बर 126/19 के किला नम्बर 2 ता 9 रकबा 8 बीघा, किला 13, 14, 18 रकबा 3 बीघा कुल 11 बीघा भूमि वयस्क संतान के रुप में आवंटन कराने की अधिकारी है। वादिया उक्त भूमि को पुख्ता आवंटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत करने की हकदार है। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि प्रश्नगत भूमि को किसी अन्य को आवंटन नहीं करें और वादिया को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें। उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर ने निर्णय दिनांक 24–01–2004 से दावा खारिज किया। इस निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने निर्णय दिनांक 22–07–2006 से अपील को खारिज किया है, उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

4– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

5– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी–वादी ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत खसरा नम्बर साबिक 43 रकबा 27–15 बीघा में से 17 बीघा भूमि वादिया के पिता ताजूराम पुत्र लालूराम को उप निवेशन कृषि भूमि आवंटन नियम, 1975 के तहत आवंटन की गई थी और साबिक नम्बर 43 के शेष रकबा पर वादिया के पिता ताजूराम पुत्र लालूराम की सम्वत् 2015 से गैर खातेदारी रही है और लगातार कब्जा काश्त में है। उक्त आराजी में से शेष रही भूमि मु0 नम्बर 126/19 किला नम्बर 2 ता 9 रकबा 8 बीघा, किला 13, 14, 18 रकबा 3 बीघा कुल 11 बीघा रकबा सरप्लस घोषित किया जा कर आराजी राज दर्ज किया गया, जब कि वादिया का इस पर अपने पिता के समय से ही कब्जा काश्त है। प्रतिवादी पक्ष ने आराजी को गैर खातेदारी में होना व वादिया के कब्जे को डिनाई नहीं किया है। परीक्षण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को विवेचन किये बिना ही वाद को खारिज किया है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में गलत प्रकार से यह माना है कि वादिया का वाद धारा 88 के तहत नहीं आता है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि वादिया द्वारा प्रश्नगत भूमि पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है और अधिनियम की धारा 88 के तहत खातेदारी घोषणा प्रदान किये जाने के प्रावधान हैं। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाये और अपील स्वीकार कर वादिया का वाद डिक्री किया जाये।

6– रैस्पो0/प्रतिवादी पक्ष के योग्य अति0 राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि है जो कि उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि है। उप निवेशन क्षेत्र की भूमि को नियमों के तहत कीमतन ही

आवंटन किया जा सकता है और इसके लिए अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने वादिया को स्वतंत्रता प्रदान की है जिसके अनुसार वादिया आवंटन की कार्यवाही हेतु चाराजोही कर सकती है। वादिया द्वारा वादपत्र में जो अनुतोष चाहा है उसके अनुसार यह घोषणा चाही है कि वह आवंटन कराने की अधिकारी है, जब कि धारा 88 के तहत घोषणात्मक वाद ही दायर किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने वादिया के वाद को धारा 88 के तहत चलने योग्य नहीं होना बताने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से अपील खारिज योग्य है।

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन–अध्ययन किया।

8– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी/अपीलार्थी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष घोषणा का जो वाद प्रतिवादी/रैस्पो0 राज्य पक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया है उसमें मुख्य रुप से यही उज्र लिया गया है कि "घोषणात्मक डिक्री जारी की जाये कि **वादिनी अपने पिता की सरप्लस भूमि** चक 230 आर.डी. के मु0 नम्बर 126/19 के किला नम्बर 2 ता 9 रकबा 8 बीघा, किला 13, 14, 18 रकबा 3 बीघा कुल 11 बीघा भूमि वयस्क संतान के रुप में **आवंटन कराने की अधिकारी है।** वादिया उक्त भूमि को **पुख्ता आवंटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत करने की हकदार है।** प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि प्रश्नगत भूमि को किसी अन्य को आवंटन नहीं करें और वादिया को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें।" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत अभिधृति सम्बन्धी अधिकारों की घोषणा के लिए (i) एक अभिधारी (ii) एक सह– अभिधारी, (iii) एक खुदकाश्त का अभिधारी (iv) एक उप अभिधारी या (v) एक भू धारक (राज्य सरकार के अलावा) ही सम्बंधित सहायक कलक्टर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं किन्तु हस्तगत प्रकरण में वादिया उपरोक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आती है। इसके अलावा ये भी स्पष्ट है कि वादिया द्वारा घोषणा इस आशय की चाही गई है कि वह **अपने पिता की सरप्लस भूमि आवंटन कराने की अधिकारी है।** स्पष्ट है कि वादीया द्वारा वादपत्र में जिस आशय का अनुतोष चाहा गया है उसकी घोषणा के लिए अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत वाद नहीं आता है। यदि वादिया को आवंटन सम्बन्धी अनुतोष चाहिए तो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चाराजोही करनी चाहिए। इसी प्रकार से धारा 188 के तहत वाद उसी स्थिति में लाया जा सकता है जब उसके किसी भू भाग पर उसके उपयोग उपभोग में किसी अन्य द्वारा अतिचार किया जा रहा है, जब कि हस्तगत प्रकरण में वादिया खातेदार नहीं है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि वादिया धारा 88 के तहत वाद

नहीं ला सकती है और धारा 188 के लिए वादिया ने अभिधारी होने के कथन को अपने वाद में साबित नहीं किया है। वादिया यदि उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 13 के प्रावधानों अंतर्गत आवंटन की अधिकारिणी है तो सक्षम अधिकारी के समक्ष आवंटन सम्बन्धी अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है और अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा वादिया को अपने निर्णय दिनांक 24–01–2004 में इस आशय का अनुतोष प्रदान किया जा चुका है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार की तात्विक या विधिक भूल नहीं होने से, हमारे मतानुसार हस्तगत द्वितीय अपील के स्तर पर समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। फलतः यह द्वितीय अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य